

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1842

दिनांक : 13-5-2010

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन हाई-टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद को वाणिज्य एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2018 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 04.07.2018 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार हाई-टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद को वाणिज्य एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2018 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि विश्वविद्यालय द्वारा दो वर्षों का प्रमाणित परीक्षाफल एवं रू0 100/- का शपथ पत्र दो सदस्यों के हस्ताक्षर कराकर विश्वविद्यालय को एक माह के अंदर उपलब्ध करा देगा। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, हाई-टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाइट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव